सरकूलर नं0: अपमा/2014–2016/374 दिनांक : 24–9–2016

'आय घोषणा योजना, 2016 के सन्दर्भ में''

साथियों, आप समाचार पत्रों एवं मीडिया में अघोषित आय की घोषणा 30 सितम्बर तक अवश्य करें, आप द्वारा की गई घोषणा का पूर्ण रूप से गुप्त रखा जायगा व विभाग की ओर से किसी प्रकार कार्यवाही नहीं की जायेगी के विज्ञापन पढ़ ही रहें होंगे।

दोस्तों, पिछले दो तीन दिन में हमारे बाजार में आयकर विभाग की ओर से 3–4 स्थानों पर छापेमारी की गई। जिससे बाजार मे काफी डर का माहौल रहा। विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि इस प्रकार छापेमारी जारी रहेगी।

हम समझते हैं कि आयकर विभाग का लक्ष्य शायद पूर्ण नहीं हो रहा है, इस कारण से विभाग बाजार में छापेमारी कर रहा है और समाचार है कि 30 सितम्बर के पश्चात् विभाग द्वारा दवाब बढ़ जायेगा व छापों की संख्या भी बढ़ जायेगी।

साथियों, हम में से यदि किसी ने भी अघोषित आय की घोषणा करनी है तो उन्हें जल्द ही अपना निर्णय लेना चाहिए।

हम सरकार द्वारा इस स्कीम में लोगों को अधिक से अधिक भाग लेने की कामना करते है व इस स्कीम के अवसर का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करते हैं।

''सदा आपके सुन्दर भविष्य की कामनाओं के संग आपकी अपनी संस्था अपमा''

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव